TATA

क्रमांक / भानेप्रो–II / वनभूमि / एफआरए–अनापत्ति / 2019–20/32 रायपुर, दिनांक : 9/12/2019

प्रति,

**कलेक्टर महोदय,**
जिला कार्यालय परिसर, दंतेवाडा
जिला दंतेवाडा (छत्तीसगढ़).

विषय : भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु आपके जिला क्षेत्र के दंतेवाडा वनमण्डल अन्तर्गत गीदम एवं कटेकल्याण ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत् प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित **3.273 हे. वनभूमि, 1.288 हे. राजस्व वनभूमि, कुल रकबा 4.561 हे.वनभूमि** का FRA प्रतिवेदन एवं राजस्व वनभूमि का अनापत्ति पत्र "CEO छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध ।

संदर्भ : 1) कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, सिविल लाईन्स, रायपुर का पत्र क्रमांक / 2803 / मुकाअ / चिप्स / 2018 रायपुर, दिनांक 07.12.2018 ।

2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक–एफ 9–12 / 2018 / 1 / 5 रायपुर, दिनांक 06.04.2018 ।

3) कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, सिविल लाईन्स, रायपुर का पत्र क्रमांक / 2295 / सीईओ / चिप्स / भारतनेट / एमएसआई / 2018 रायपुर, दिनांक 06.10.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया अवगत हों कि भारत सरकार (BBNL) द्वारा "National Optical Fibre Network Project" अन्तर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के तहत् छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजिटलीकृत करने हेतु 'मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड' को **"कार्यान्वयन सहभागी"** नियुक्त करते हुए छत्तीसगढ़ शासन,

STENO
To Collector
Dist. Dantewada
9/12/19



Scanned by CamScanner

TATA

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5987 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए कुल 32000 कि.मी. ग्राम पंचायतों के मार्गो (ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत) में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कार्य सम्पदा की निःशुल्क राईट–ऑफ–वे की अनुमति प्रदान की गई है ।

अवगत हों कि आपके जिले के दंतेवाडा वनमण्डल अन्तर्गत गीदम एवं कटेकल्याण ब्लॉक के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्गो के समानान्तर वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत् प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित वनभूमि का FRA प्रतिवेदन एवं राजस्व वनभूमि का अनापत्ति पत्र आवश्यक है ।

साथ ही ज्ञात हो कि चूँकि यह एक Linear Project है, अतएव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इंन्द्रा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र कमांक F.No. 11-09/98-FC (Pt.) दिनांक 28 अक्टूबर 2014" अनुसार वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी ग्राम सभा प्रतिवेदन आवश्यक नहीं है । चूँकि प्रस्तावित कार्य एक लिनियर प्रोजेक्ट है एवं मौजूदा मार्ग के राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत बिछाई जावेगी एवं किसी भी वृक्ष अथवा वन सम्पदा तथा शासन द्वारा संचालित सुविधाएँ को क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी । अतः महोदय से अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत् प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित **3.273 हे. वनभूमि, 1.288 हे. राजस्व वनभूमि, कुल रकबा 4.561 हे. वनभूमि** का FRA प्रतिवेदन एवं राजस्व वनभूमि का अनापत्ति पत्र मार्ग समानांतर प्रस्तावित आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु "CEO छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने की कृपा करें ताकि शासन की महत्वपूर्ण योजना (A Part of Digital India)" का सफल कियान्वयन निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जा सके ।

आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन की प्रत्याशा में सादर प्रस्तुत ।

TATA PROJECTS LIMITED TATA

(अजय नायक)
प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

**TATA PROJECTS LIMITED**
Bharat Net Project, Office No-402, 4th Floor, Offizo, Magneto The Mall, GE Road, Labhandi, Raipur-492001
Mob:-+ 91 7000240007, Email: ajayn@tataprojects.com, www tataprojects.com



Scanned by CamScanner